

सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी।

सं. 1(35)/2013-Vig


दिनांक: 04.01.2021

कार्यालय जापन

विषय: 'अचल संपत्ति' का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने विषयक

संस्थान के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण), 1964 के नियम 18 (1)(ii) के DoPT के का. जा. सं. 11012/12/2007-Estt.(A) दिनांक 27/09/2011 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्ति का वार्षिक विवरण संस्थान के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त किया जाना है। रुपये 4200/- व उससे अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी समूह 'क' और 'ख' (Non-Gazetted सहित) अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अचल संपत्ति संबंधी अपना विवरण **स्थापना अनुभाग-II** में निश्चित रूप से दिनांक 29 जनवरी, 2021 तक निर्धारित प्रोफॉर्मा में पूर्णरूप से भरकर प्रस्तु करें।

संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा दिये गये संपत्ति संबंधी कार्यविवरण नियम 18(2) 18(3) के अन्तर्गत कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसके अनुक्रम में कार्यालय द्वारा उस अचल संपत्ति लेन देन का ब्यौरा (Transaction) को रिकॉर्ड में लेने की स्वीकृति कार्यालय जापन द्वारा जारी किया जाता है जिसका विवरण अचल संपत्ति विवरण प्रोफॉर्मा के कॉलम 11 में भरा जाना है। सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से अनुरोध है कि वह यह विवरण सम्पूर्ण स्टीक रूप से भरे, किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ा जाये व प्रत्येक कॉलम में मांगी गई सूचना पूर्ण रूप से भरे। यदि कोई भी कॉलम गलत/अधूरा (incorrect/ incomplete) रूप से भरा जाता है तो कार्यालय द्वारा यह माना जायेगा कि विवरण समयपूर्वक जमा नहीं किया गया। निर्धारित प्रपत्र सीरी वेबसाइट पर उपलब्ध है।



(पंकज गोस्वामी)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. समस्त समूह 'क' व 'ख' अधिकारी
2. स्थापना अनुभाग-II
3. एन.एम.सी. - सीरी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट